

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा कैम्प
घाणामगरा

वादीगण

बनाम


प्रतिवादी

दीनदयाल व अन्य

राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमा राजस्व वाद संख्या-148/2021

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर वा तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
12.11.2021	<p>प्रार्थीगण दीनदयाल पुत्र मेहराम, अजय चौधरी पुत्र मेहराम जातियान जाट निवासीगण घाणामगरा तहसील बिलाड़ा ने राजस्व शिविर कैम्प घाणामगरा में धारा-88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट का आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम घाणामगरा तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 344 रकबा 0.1133 हैक्टेयर स्थित है तथा इसी प्रकार ग्राम घाणामगरा की भूमि खसरा नम्बर 132 रकबा 2.1115 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 244 रकबा 2.5322 हैक्टेयर कुल खसरा 2 कुल रकबा 4.6437 हैक्टेयर स्थित है इसी प्रकार ग्राम घाणामगरा की भूमि खसरा नम्बर 290 रकबा 0.0162 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 290/1 रकबा 0.0728 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 290/2 रकबा 9.8536 हैक्टेयर कुल खसरा 3 कुल रकबा 9.9426 हैक्टेयर स्थित है इसी प्रकार ग्राम घाणामगरा की भूमि खसरा नम्बर 162 रकबा 0.1052 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 162/1 रकबा 2.5241 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 162/2 रकबा 1.6746 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 162/3 रकबा 1.2054 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 162/4 रकबा 2.8962 हैक्टेयर, कुल खसरा 5 कुल रकबा 8.4055 हैक्टेयर स्थित है जिसकी संयुक्त खातेदारी भूमि वादीगण के पिता मेहराम पुत्र आसूराम जाट की थी। मेहराम का देहान्त 30 वर्ष पूर्व हो गया, उनके देहान्त का फौतेदगी नामान्तरण संख्या 370 दिनांक 08.09.1998 स्विकृत किया गया उसमें प्रार्थीगण का नाम दीनदयाल पुत्र मेहराम, अजय चौधरी पुत्र मेहराम के बजाय दिनेश पुत्र मेहराम, महावीर पुत्र मेहराम लिख दिया</p>	

गया जबकि प्रार्थीगण का वास्तविक नाम दीनदयाल, अजय चौधरी है तथा सरकारी दस्तावेज भी दीनदयाल, अजय चौधरी के नाम से जारी किये हुए हैं अन्त में निवेदन किया कि संयुक्त खातेदारी भूमि में दिनेश पुत्र मेहराम के स्थान पर दीनदयाल पुत्र मेहराम, महावीर पुत्र मेहराम के स्थान पर अजय चौधरी पुत्र मेहराम की संयुक्त खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वादीगण दीनदयाल, अजय चौधरी ने अपने वाद के समर्थन में अपने स्वयं के बयान दर्ज करवाये। वादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के तौर पर वादी दीनदयाल का राशनकार्ड, आधारकार्ड, पहचान पत्र तथा अजय

चौधरी का राशनकार्ड, आधार कार्ड, पेन कार्ड आदि पेश किये हैं। वादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के तौर पर कार्यालय ग्राम पंचायत घाणामगरा द्वारा जारी किया गया विरासत प्रमाण पत्र को पेश किया है। तहसीलदार बिलाड़ा से उपरोक्त संयुक्त खातेदारी भूमि का जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया, जिसकी पालना में तहसीलदार बिलाड़ा ने जवाब पेश किया, जो जवाब को शामिल पत्रावली कराया गया। वादीगण ने मजमा आम में निवेदन किया कि हमारा नाम उपरोक्त संयुक्त खातेदारी भूमि में दिनेश, महावीर लिख दिया गया है, गलत प्रविष्टि के कारण हमारा खाता में नाम अंकित नहीं हो रहा है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। दस्तावेजों का अध्ययन करने से विदित होता है कि वादी संख्या-1 का नाम दीनदयाल के बजाय दिनेश, वादी संख्या-2 अजय चौधरी के बजाय महावीर दर्ज कर दिया गया है, जो एक त्रुटी है। उक्त वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है अतः ग्राम घाणामगरा तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 344 रकबा 0.1133 हैक्टेयर स्थित है तथा इसी प्रकार ग्राम घाणामगरा की भूमि खसरा नम्बर 132 रकबा 2.1115 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 244 रकबा 2.5322 हैक्टेयर कुल खसरा 2 कुल रकबा 4.6437 हैक्टेयर स्थित है इसी प्रकार ग्राम घाणामगरा की भूमि खसरा नम्बर 290 रकबा 0.0162 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 290/1 रकबा 0.0728 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 290/2 रकबा 9.8536 हैक्टेयर कुल खसरा 3 कुल रकबा 9.9426 हैक्टेयर स्थित है इसी प्रकार ग्राम घाणामगरा की भूमि खसरा नम्बर 162 रकबा 0.1052 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 162/1 रकबा 2.5241 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 162/2 रकबा 1.6746 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 162/3

	<p>रकबा 1.2054 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 162/4 रकबा 2.8962 हैक्टेयर, कुल खसरा 5 कुल रकबा 8.4055 हैक्टेयर की संयुक्त खातेदारी भूमि में दिनेश पुत्र मेहराम के स्थान पर दीनदयाल पुत्र मेहराम तथा महावीर पुत्र मेहराम के स्थान पर अजय चौधरी पुत्र मेहराम जातियान जाट निवासीगण घाणामगरा तहसील बिलाड़ा की खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जाती है। उक्तानुसार तहसीलदार बिलाड़ा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। इसी माफिक निर्णय का डिक्री पर्चा जारी हों, पत्रावली फैसल शुमार हाकर दाखिल दफ्तर हों। निर्णय प्रशासन गांव के संग अभियान कैम्प ग्राम घाणामगरा में खुले में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा</p>	
--	--	--

**अन्तिम डिक्री व मुकदमे इत्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)**

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा कैम्प घाणामगरा

व इजलास भवानी सिंह, आर.ए.एस.

वादी	बनाम	प्रतिवादी
01 दीनदयाल पुत्र मेहराम जाति जाट निवासी घाणामगरा तहसील बिलाड़ा		राजस्थान सरकार तहसीलदार बिलाड़ा

02 अजय चौधरी पुत्र मेहराम

जाति जाट निवासी घाणामगरा तहसील बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेसी एक्ट

राजस्व वाद संख्या :- 148/2021

निर्णय

दिनांक :- 12.11..

2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी वादी स्वयं मिनजानिब मुददई, प्रतिवादी संख्या-1 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेगा होकर हुकम दिया जाता है कि ग्राम घाणामगरा तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 344 रकबा 0.1133 हैक्टेयर स्थित है तथा इसी प्रकार ग्राम घाणामगरा की भूमि खसरा नम्बर 132 रकबा 2.1115 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 244 रकबा 2.5322 हैक्टेयर कुल खसरा 2 कुल रकबा 4.6437 हैक्टेयर स्थित है इसी प्रकार ग्राम घाणामगरा की भूमि खसरा नम्बर 290 रकबा 0.0162 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 290/1 रकबा 0.0728 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 290/2 रकबा 9.8536 हैक्टेयर कुल खसरा 3 कुल रकबा 9.9426 हैक्टेयर स्थित है इसी प्रकार ग्राम घाणामगरा की भूमि खसरा नम्बर 162 रकबा 0.1052 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 162/1 रकबा 2.5241 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 162/2 रकबा 1.6746 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 162/3 रकबा 1.2054 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 162/4 रकबा 2.8962 हैक्टेयर, कुल खसरा 5 कुल रकबा 8.4055 हैक्टेयर की संयुक्त खातेदारी भूमि में दिनेश पुत्र मेहराम के स्थान पर दीनदयाल पुत्र मेहराम तथा महावीर पुत्र मेहराम के स्थान पर अजय चौधरी पुत्र मेहराम जातियान जाट निवासीगण घाणामगरा तहसील बिलाड़ा की खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जाती है। उक्तानुसार तहसीलदार बिलाड़ा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

(भवानी सिंह)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज — मुबलिग — बाबत् —

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह — सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक — की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12.11.2021 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमि"नर			फीस कमि"नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :-इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

FORM NO. III